

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-02

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

आनलाईन पंजीयन क्रमांक : FP/CG/OFC/42879/2019.

7.	परियोजना/स्कीम का स्थान	"भारत नेट प्रोजेक्ट - फेस II" के अन्तर्गत आर्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु अमरावती परिक्षेत्र अंतर्गत आरक्षित वन भूमि कक्ष क्रमांक आर.एफ. 476, 502, 503, 504, 506, 507, 508, 512, 513, 515, 517, 522, 523, 449, 383, 505A, में से 0.914 हे. एवं माकड़ी परिक्षेत्र के आर.एफ. 439, 397, 407, 362, 363, 400, 404, 405, 406, 408, 409, 410, 413, 415, 416, 430, 435, 528, 533, 429, 439 में से 1.644 हे. व मुलमुला परिक्षेत्र के आर.एफ. 539, 562, 563, 564, 565 में से 0.319 हे. कुल आरक्षित वन भूमि 2.877 हे. तथा अमरावती परिक्षेत्र के संरक्षित वन भूमि कक्ष क्रमांक पी.एफ. - 647, 636, 637, 645, 650, 630, 628, 621, 618, 620, 615, 612, 610 A, 602, 589, 590, 591 में से 1.460 हे. , माकड़ी परिक्षेत्र के पी.एफ. - 587, 588, 599, 600, 360, 329, 330, 289, 291, 278, 285, 288, 287, 282, 281, 274, 275, 268, 269, 271, 349, 350, 353, 355, 356, 358, 344, 339, 340, 345, 292, 337, 338, 339, 359, 332, 652, 654, 655, 656, 659, 660, 263, 265 में से 2.207 हे. व मुलमुला परिक्षेत्र के पी.एफ.- 662, 666, 679, 680, 682, 688 में से 0.389 हे. व नारंगी परिक्षेत्र के पी.एफ. 826 में से 0.025 हे. कुल संरक्षित वन भूमि एकबा 4.081 हे. कुल वन भूमि एकबा 6.958 हे. तथा राजस्व वन भूमि खसरा नम्बर - 12/5, 88/1, 1/1, 52/10, 49, 72/1, 32/1, 43/1, 10/1, 44/1, 54, (59/1,59/4), 66/1, 58/1, 156/1, 120, 145/14, 35/25, 160/1, 18/1, (1/1, 1/3, 1/18, 1/9), 35/10, 12/5, 32/1, 1/30, 67, 1/49, 35/3, 1/8KA, 28/1, 43/1, 96/1, 102/1/KA, 86/1KA, 50/1KA में से 1.053 हे. कुल प्रत्यावर्तित वन भूमि एकबा 8.011 हेक्टेयर है।
(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़
(ii)	जिला	कोंडागांव

		63
(iii)	वन प्रभाग	दक्षिण कोंडागांव वनमंडल
(iv)	वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्र (हे.)	8.011 हेक्टेयर
(v)	वन की कानूनी स्थिति	आरक्षित वन खण्ड माकड़ी के कक्ष क्रमांक आर.एफ. 476, 502, 503, 504, 506, 507, 508, 512, 513, 515, 517, 522, 523, 449, 383, 505A, 439, 397, 407, 362, 363, 400, 404, 405, 406, 408, 409, 410, 413, 415, 416, 430, 435, 528, 533, 429, 439, 539, 562, 563, 564, 565 एवं संरक्षित वन खण्ड बोड़ागांव के कक्ष क्रमांक पी.एफ. पी.एफ. - 647, 645, वन खण्ड पूर्व छिनारी के पी.एफ. 636, 637, वन खण्ड बीजापुर के पी.एफ. 650, वन खण्ड अनतपुर के पी.एफ. 630, 628, वन खण्ड सिवनी के पी.एफ. 621, वन खण्ड तुरेंगा के पी.एफ. 618, 620, 615, वन खण्ड सी.स.व. सोड़मा के पी.एफ. 612, वन खण्ड सोड़मा के पी.एफ. 610 A, वन खण्ड पीढ़ापाल के पी.एफ. 602, वन खण्ड सी.स.व. जरण्डी के पी.एफ. 589, 590, वन खण्ड जरण्डी के पी.एफ. 591 वन खण्ड माकड़ी के पी.एफ. 587, वन खण्ड उदयपुरडोंगरी के पी.एफ. 588, वन खण्ड उदेंगा के पी.एफ. 599, 600, वन खण्ड बागबेड़ा के पी.एफ. 360, वन खण्ड लुभा के पी.एफ. 329, 330, 332, वन खण्ड पुसपाल के पी.एफ. 288, 289, वन खण्ड सी.स.व. उत्तर रांधना के पी.एफ. 291, वन खण्ड भीरागांव के पी.एफ. 278, वन खण्ड कुमगांव के पी.एफ. 285, वन खण्ड सी.स. व.प. बरकई के पी.एफ. 287, वन खण्ड चांदागांव के पी.एफ. 282, 281, वन खण्ड चरकई के पी.एफ. 274, वन खण्ड बासनी के पी.एफ. 275, वन खण्ड माझीबोरण्ड के पी.एफ. 268, 269, 263, 265, वन खण्ड सी.स.व.बेलोन्ड के पी.एफ. 271, 349, 350, वन खण्ड काटागांव के पी.एफ. 353, वन खण्ड पूर्व ओण्डरी के पी.एफ. 355, 356, वन खण्ड पश्चिम ओण्डरी के पी.एफ. 358, वन खण्ड दक्षिण गारे के पी.एफ. 344, वन खण्ड सी.स.व. रांधना के पी.एफ. 339, वन खण्ड कोकोड़ी के पी.एफ. 340, वन खण्ड उत्तर गारे के पी.एफ. 345, वन खण्ड तारागांव के पी.एफ. 292, वन खण्ड सी.स.व. कोकोड़ी के पी.एफ.

		337, 338, वन खण्ड रांधना के पी.एफ. 339, वन खण्ड पश्चिम धेमगांव के पी.एफ. 359, वन खण्ड सिवनापदर के पी.एफ. 652, 654, वन खण्ड कावरा के पी.एफ. 655, 656, वन खण्ड छोटेसलना के पी.एफ. 659, वन खण्ड शामपुर के पी.एफ. 660, 265, वन खण्ड उत्तर भोगाड़ी के पी.एफ. 662, वन खण्ड नेवता के पी.एफ. 666, वन खण्ड धनपुर के पी.एफ. 679, वन खण्ड मुलमुला के पी.एफ. 680, वन खण्ड धिपावण्ड के पी.एफ. 682, वन खण्ड निलजी के पी.एफ. 688, वन खण्ड धिमड़ी के पी.एफ. 826,
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.2 से 0.7
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ. आर.एल., एफ.एफ.आर.एल.-2 मी. पर परिगणना और एफ.आर.एफ.-4 मी. भी संलग्न किये जाये।	प्रस्तावित परियोजना में कोई भी वृक्ष कटाई नहीं की जा रही है।
(viii)	भूक्षरण के लिये वनक्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	भू-क्षरण की संभावना नहीं है।
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।	प्रस्तावित क्षेत्र वन सीमा में है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर आदि का भाग है। (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबंधित की जाए)	नहीं।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणीजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है यदि हाँ/तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	नहीं।

(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्ववीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ अपेक्षित हो दें।	नहीं।
8.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-01 कॉलम-02 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो, जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ अपेक्षित हो, दें।	प्रस्तावित वन भूमि परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है।
9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहे हैं।	नहीं।
10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा :	
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी, भू-खंडों की संख्या प्रत्येक भू-खंड का आकार।	-
(ii)	(प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वनक्षेत्र और आसपास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	-
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	-
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय।	-
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाये)	-

11.	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कॉलम-07 (xi, xii), 08 और 09 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये (संलग्न करें)	प्रस्तावित क्षेत्र 40.000 हेक्टेयर से कम होने के कारण वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है।
12.	विभाग/जिला प्रोफाईल :	
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	10270 वर्ग किलोमीटर
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	4084.077 वर्ग किलोमीटर
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वनक्षेत्र।	प्रकरण - 36 रकबा - 680.627 हेक्टेयर
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक :	
(क)	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वनभूमि।	-
(ख)	वनेत्तर भूमि पर।	-
(v)	तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति :	
(क)	वन भूमि।	2520.828 हेक्टेयर
(ख)	वनेत्तर भूमि पर।	- - -
13.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	दक्षिण कोंडागांव वनमंडल अंतर्गत "भारत नेट प्रोजेक्ट फेस -II" हेतु ऑप्टिकल फायबर केबल (ओ.एफ.सी.) लाईन बिछाने से छत्तीसगढ़ बस्तर संभाग में सुदुर क्षेत्र तक नेटवर्किंग कम्युनिकेशन सूचनाओं के आदान-प्रदान में सुविधायुक्त होगी। अतः प्रस्ताव अनुशंसा सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर संप्रेषित है।

स्थान : कोंडागांव

दिनांक : 24/02/2020


उत्तम कुमार गुप्ता
(भा.व.से.)
दक्षिण कोंडागांव वनमंडल
कोंडागांव